

**:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::**

-: कार्यालय-आदेश :-

इस कार्यालय द्वारा जारी निम्नांकित आदेशों (कॉलम संख्या 2 में वर्णित) के द्वारा जारी सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-


**प्रपत्र-6**

श्री/श्रीमती/कुमारी निम्नानुसार प्रधानाध्यापक के रूप में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर (सेवानिवृत्ति तिथि कॉलम सं०-5 के अनुसार) सरकारी-सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र सं	आदेश क्रमांक शिविस/माध्य/संस्था	नाम अधिकारी मय पद एवं पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/श्रीमती...)	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	संशोधन
1	2	3	4	5	6
1	बी-1/सेवानिवृत्ति/45001/2015-16 दिनांक 18-02-16	टीकाराम खटीक, प्रधानाध्यापक रामावि० दीवली वैर भरतपुर	05.01.57	31.01.17	कार्मिक का नाम टीकाराम के स्थान पर <b>टीकाराम खटीक</b> पढा जावे।
2	बी-1/सेवानिवृत्ति/45001/2015-16 दिनांक 18-02-16	बंशीलाल झरवाल, प्रधानाचार्य, राउमावि० खाखड (झाडोल) उदयपुर	09.02.57	28.02.17	कार्मिक का पद प्रधानाचार्य एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि खाखड-झाडोल उदयपुर पढा जावे।
3	बी-1/सेवानिवृत्ति/45001/2015-16 दिनांक 18-02-16	मोहम्मद यासीन, प्रधानाचार्य, राउमावि० खाखडकी-नावां जिला नागौर	10.12.56	31.12.16	कार्मिक का पद प्रधानाचार्य एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि० खाखडकी नावां जिला नागौर पढा जावे।
4	बी-1/सेवानिवृत्ति/45001/2015-16 दिनांक 18-02-16	गिर्राज किशोर, प्र०अ० रामावि०, धवाजपुरा बाडी जिला धौलपुर	15.12.56	31.12.16	कार्मिक का नाम गिर्राज किशोर शर्मा के स्थान पर गिर्राज किशोर पढा जावे।
5	संस्था/सी-7/10906/सेवा निवृत्ति/हिन्दी/2015-16 दिनांक 02-02-16	विमलकान्त पण्डया, प्रधानाचार्य, राउमावि० अमरसिंह का गढा जिला बासंवाडा	12.01.57	31.01.17	कार्मिक का वर्तमान पद प्रधानाचार्य एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि अमरसिंह का गढा जिला बासंवाडा पढा जावे।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध आज दिनोंक तक:-


01. राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
02. राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
03. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।

  
 संयुक्त निदेशक-कार्मिक  
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
 बीकानेर

क्रमांक :: शिविस/मा/संस्था/बी-1/से.नि.-संशोधन/45001/2015-16 दिनांक : 11-01-2017

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

01. संबंधित उपनिदेशक(माध्यमिक/प्रारम्भिक)
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
03. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
04. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक)कार्यालय हाजा
05. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
06. रक्षित/निजी पंजिका

  
संयुक्त निदेशक—कार्मिक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय -आदेश

प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जरगा तह. खानपुर जिला झालावाड के पत्र क्रमांक :रा.उ.मा.वि /जरगा/ दिनांक 15.12.2016 एवं साथ संलग्न प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्री जम्बूकुमार जैन जन्म तिथि 17.05.60 प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जरगा खानपुर झालावाड का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 10.12.2016 को आकस्मिक निधन हो चुका है। अतः श्री जैन की राज्य सेवाए दिनांक 10.12.2016 से एतद्द्वारा समाप्त की जाती है।



(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा -राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 10-1-2017

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/ए-6/16-17/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1 श्रीमान संयुक्त निदेशक पेशन विभाग उदयपुर।
- 2 उप निदेशक माध्यमिक उदयपुर मण्डल उदयपुर
- 3 उप निदेशक प्रावधानी निधि राज्य बीमा विभाग प्रतापढ।
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड।
- 5 प्रधानाचार्य रा.आदर्श उ.मा.वि.जरगा खानपुर झालावाड।
- 6 आश्रित स्व.श्री जम्बूकुमार जैन प्रधानाचार्य द्वारा संबधित जिशिअ
- 7 अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन
7. बी-1/2/3प्रभाग
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा -राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

श्री यादवेन्द्र द्विवेदी, प्रधानाचार्य, आदर्श राजकी उच्च माध्यमिक विद्यालय, पादरडी वडी, डूंगरपुर में कार्यरत हैं, जिनकी जन्म तिथि 06.06.1958 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 8.10.1979 है, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 03.03.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है। राजस्थान पेशन नियम 1996 के नियम 50(4) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:एफ13(7)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना मे श्री यादवेन्द्र द्विवेदी को दिनांक 03.03.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री यादवेन्द्र द्विवेदी के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/ए-6/यादवेन्द्र/15-16

दिनांक : 10-1-2017

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1-सयुक्त निदेशक, पेशन विभाग उदयपुर।

2-उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग डूंगरपुर।

3-उप निदेशक माध्यमिक उदयपुर।


4-जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डूंगरपुर।

5-प्रधानाचार्य,आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पादरडी, डूंगरपुर।

6-संबंधित श्री यादवेन्द्र द्विवेदी द्वारा संबंधित जिशिअ

7-अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच /वरिष्ठता /गोपनीय प्रतिवेदन/

6-निजि/गार्ड पंजिका



सयुक्त निदेशक,(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,  
बीकानेर